राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

शुद्धि पत्र

दिनांक 13 जून, 1984

क्रमांक 664-ज(II)-84/16425.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 261-ज-II-84/7546, दिनांक 16 मार्च, 1984, जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 27-3-1984 को प्रकाशित हुई है, की पांचवीं लाईन में अधिसूचना क्रमांक 429-ज(I)-74/19971, दिनांक 18 जून, 1971 की बजाये "अधिसूचना क्रमांक 429-ज(II)-74/19971, दिनांक 18 जून, 1974" पढ़ा जाये ।

क्रमांक 717-ज-(II)-84/16430.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री कुन्दन लाल, पुत्र श्री ईश्वर सिंह, गांव नन्दगांव, तहसील व जिला भिवानी को रबी 1977 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

दिनांक 18 जून, 1984

क्रमांक 748-ज-(II)-84/16568.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती शान्ति देवी, विधवा श्री रणजीत सिंह, गांव बोन्दा कलां, तहसील दादरी, जिला भिवानी,को खरीफ, 1975 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 19 जून, 1984

क्रमांक 691-ज(II)-84/16758.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री देवा राम, पुत्र श्री रूपराम, गांव किशनपुरा (खोरडा), तहसील दादरी, जिला भिवानी, को रबी, 1971 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 198-ज(I)-84/14663.—श्री महासिंह, पुत्र श्री चान्दी, गांव भदाना, तहसील व जिला सोनीपत, की दिनांक 20 अप्रैल, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री महा सिंह को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1572-ज-(II)-75/23220, दिनांक 6 अगस्त, 1975 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती ब्रहमो देवी के नाम खरीफ़, 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 21 जून, 1984

क्रमांक 719-ज(II)-84/16987.—श्री सरदार सिंह, पुत्र श्री नानग राम, गांव महीउदीनपुर, तहसील रिवाड़ी, जिला महिन्द्रगढ़, की दिनांक 18 अक्तूबर, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सरदार सिंह को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 680-ज-I-76/13334, दिनांक 5 मई, 1976, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती छोटां देवी के नाम रबी, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं ।

टी० आर० तुली,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,

राजस्व विभाग ।